संख्याः-25 /2019/418 /अड़तीस-9-2019-02(बजट)/2018

प्रेषक,

सुरेश कुमार,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
लखनऊ/सहारनपुर/चित्रकूट/प्रतापगढ
/रामपुर/कानपुर नगर/बहराइच/अलीगढ़/मऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 26 नवम्बर, 2019

विषयः-विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-22/2019/383/अडतीस-9-2019-02(बजट)/2018 दिनांक-05.11.2019 द्वारा उ0प्र0 विधान सभा के 392 मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख प्रति मा0 सदस्य की दर से कुल धनराशि रू0 39200.00 लाख (रू0 तीन करोड़ बानवे लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- सूच्य है कि प्रोटोकाल अनुभाग विधान सभा सचिवालय के पत्र दिनांक-21.11.2019 द्वारा नवनिर्वाचित 09 मा0 सदस्यगण विधानसभा की सूची निर्गत की गयी है, अतएव उक्त के क्रम में विधान सभा के नव-निर्वाचित 09 मा0 सदस्यगण के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की द्वितीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़ मात्र) प्रति मा0 सदस्य की दर से कुल धनराशि रू0 900.00 लाख (रू0 नौ करोड़ मात्र) को अवमुक्त किये जाने की आवश्यकता पायी गयी है।

3-अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में विधान सभा के नव-निर्वाचित 09 मा0 सदस्यगण के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों हेतु रू0 900.00 लाख (रू0 नौ करोड़ मात्र) (संलग्नक-अ) की धनराशि को द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था/प्राविधानित तथा इस निमित्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(2)- यदि किसी विधान सभा/विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र का स्थान रिक्त है, तो उस क्षेत्र की धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी।

(3)- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष वास्तविक रूप से देय/आगणित जी0एस0टी0 के समतुल्य ही धनराशि का आहरण/व्यय किया जायेगा।

(5)- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

जाने की कार्यवाही का दायित्व सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी का होगा।

(6)- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि की जानकारी तथा शासनादेश की प्रतिलिपि अपने-अपने जनपद से सम्बन्धित मा0 विधान सभा/विधान परिषद सदस्यों को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

(7)- आहरित की जाने वाली धनराशि सम्बन्धित डीआरडीए के डिपाजिट खाते में स्थानांतरित की जायेगी एवं इस डिपाजिट खाते से इसका व्यय विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(8)- इस सम्बन्ध में वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-विधायक निधि-42-अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22.03.2019 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुरेश कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-25 /2019/418 (1)अड़तीस-9-2019-02(बजट)/2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
5- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
7- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- जिलाधिकारी लखनऊ/सहारनपुर/चित्रकूट/प्रतापगढ़/रामपुर/कानपुर नगर/ बहराइच/अलीगढ़/मऊ उ0प्र0।
12- कोषाधिकारी लखनऊ/सहारनपुर/चित्रकूट/प्रतापगढ़/रामपुर/कानपुर नगर/ बहराइच/अलीगढ़/मऊ उ0प्र0।
13- निदेशक, बजट एवं विशेष कार्याधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग।
14- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
15- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-25 /2019/418 (1) /अड़तीस-9-2019-02(बजट)/2018, दिनांक- 26 नवम्बर, 2019 का संलग्नक विधान सभा के नव-निर्वाचित 09 मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "अ"

क्र0 सं0	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
1	175-लखनऊ,कैन्टोन्मेन्ट	लखनऊ	100.00
2	07-गंगोह	सहारनुपर	100.00
3	237-मानिकपुर	चित्रकूट	100.00
4	248-प्रतापगढ	प्रतापगढ	100.00
5	37-रामपुर	रामपुर	100.00
6	212-गोविन्द नगर	कानपुर नगर	100.00
7	282-बलहा	बहराइच	100.00
8	77-इगलास	अलीगढ़	100.00
9	354-घोसी	मऊ	100.00
योग-			900.00

(कुल रूपये नौ करोड़ मात्र)

सुरेश कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।